भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3119
गुरुवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने हेतु

पीएम-कुसुम के अंतर्गत उत्पादित बिजली की खरीद

3119. श्री मितेश पटेल (बकाभाई): क्या **नवीन और नवीकरणीय** ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) नामक मांग आधारित योजना शुरू की है;

(ख) यदि हा, तो निर्धारित प्रावधानों, लक्ष्यों और केंद्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा उनकी उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) गुजरात सरकार की योजनाओं और मांगों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत उत्पादित बिजली खरीदने का कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में संसाधन सृजित किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना कार्यान्वित कर रहा है, जो कि एक मांग आधारित योजना है। इस योजना के तीन घटक हैं:

(i) घटक-क: किसानों की बंजर/परती भूमि पर प्रत्येक संयंत्र की 2 मेगावाट तक की क्षमता के साथ, कुल 10000 मेगावाट क्षमता के लघु सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना;

(ii) घटक-खः 20 लाख स्टैण्डअलोन ऑफ ग्रिड सौर जल पंपों की स्थापना; और

(iii) घटक-गः फीडर स्तरीय सौरीकरण करने सहित 15 लाख मौजूदा ग्रिड संबद्ध कृषि पंपों का सौरीकरण।

घटक-ख और घटक-ग के लिए, भारत सरकार बैंचमार्क लागत अथवा निविदा के माध्यम से प्राप्त लागत, का 30 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करती है। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों; हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड पर्वतीय राज्यों; जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में बैंचमार्क लागत अथवा निविदा के माध्यम से प्राप्त लागत, का 50 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, उच्चतर केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जा रहा है।

योजना के तहत, कार्यान्वयन एजेंसियों को देय सेवा शुल्कों सहित 34,035 करोड़ रूपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट सौर विद्युत क्षमता स्थापित की जाएगी।

पीएम-कुसुम योजना के तहत जारी स्वीकृतियों और प्राप्त क्षमताओं के घटक-वार और राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए है।

(ग): गुजरात राज्य से प्राप्त मांग के आधार पर पीएम-कुसुम योजना के तीनों घटकों के तहत संचयी रूप से निम्नलिखित क्षमताएं स्वीकृत की गयी हैं:

(i) घटक-क: 500 मेगावाट

(ii) घटक-ख: 3424

(iii) घटक-ग: 7,500

(घ) से (च): योजना में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा घटक-क के तहत, स्थापित लघु सौर विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित सौर विद्युत और घटक-ग के तहत किसानों द्वारा ग्रिड में भेजी गई सरप्लस सौर विद्युत की खरीद के लिए प्रावधान हैं। योजना के घटक-क के तहत, स्थापित सौर विद्युत संयंत्रों के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा डिस्कॉमों को, खरीदी गई प्रति यूनिट पर 0.40 रु. की दर से अथवा स्थापित की गई क्षमता पर प्रति मेगावाट 6.6 लाख रु. की दर से, इनमें से जो भी कम हो, सौर विद्युत संयंत्रों के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए खरीद आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए योजना में पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं।

अनुलग्नक

'पीएम-कुसुम योजना के अन्तर्गत उत्पादित बिजली की खरीद' के संबंध में दिनांक 16.12.2021 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3119 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 30.11.2021 की स्थिति के अनुसार पीएम-कुसुम की स्वीकृतियां और उपलब्धियां

क्रम. सं.	राज्य	घटक-क (मेगावाट)		घटक-ख (संख्या)		घटक-ग (संख्या)		
		स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत (आईपीएस)	स्वीकृत (एफ़एलएस)	स्थापित
1	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	50000	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	50	0	0	0	0
3	असम	50	0	1000	0	500	0	0
4	छतीसगढ़	30	0	20000	0	0	0	0
5	दिल्ली	62	0	0	0	550	0	0
6	गुजरात	500	0	3424	450	7000	500	0
7	गोवा	50	0	200	0	11000	0	0
8	हरियाणा	65	0	3700	22040	0	32927	0
9	हिमाचल प्रदेश	20	10	950	180	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	5	0	5000	0	0	0	0
11	झारखंड	50	0	11000	6711	500	10000	0
12	कर्नाटक	500	0	10500	314	0	250000	0
13	केरल	40	0	100	0	100	2000	0
14	लद्दाख	0	0	600	0	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	300	0	57000	7234	20000	175000	0
16	महाराष्ट्र	500	0	100000	0	0	250000	0
17	मणिपुर	0	0	150	10	0	0	0
18	मेघालय	5	0	200	35	0	10000	0
19	नागालैंड	0	0	50	0	0	0	0
20	ओडिशा	500	0	5700	566	0	0	0
21	पुडुचेरी	7	0	0	0	0	0	0
22	पंजाब	220	0	12000	6037	0	25000	0
23	राजस्थान	1200	10	65000	23700	12500	25000	1026*
24	तमिलनाडु	75	0	6100	1016	20000	0	0
25	तेलंगाना	500	0	0	0	0	65000	0
26	त्रिपुरा	5	0	3100	421	2600	0	0
27	उत्तर प्रदेश	225	0	20000	6384	0	30000	0
28	उत्तराखंड	0	0	338	0	200	0	0
29	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	700	0	0
	कुल	**4909**	**20**	**359462**	**75098**	**75650**	**925427**	**1026**

* आईपीएस के अन्तर्गत स्थापित

***